मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 05 दिसम्बर 2014-अग्रहायण 14, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं इंदिरा पुत्री श्री मांगूलाल पगारिया, निवासी 36, बजाज खाना, जावरा, जिला रतलाम का विवाह 14 फरवरी, 1988 को श्री रवि डफरिया पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र डफरिया के साथ सम्पन्न हुआ है. विवाह उपरान्त मुझे इंदिरा के स्थान पर रूपम के नाम से जाना जाता है. अतः भविष्य में मुझे रूपम पत्नी श्री रवि डफरिया के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :
(इंदिरा)
पुत्री श्री मांगूलाल पगारिया
36, बजाज खाना, जावरा,
जिला-रतलाम.
(Indira)
D/o Mangulal Pagaria,
36, Bajaj Khana, Jaora
Distt : Ratlam.

नया नाम :
(रूपम)
पत्नी श्री रवि डफरिया
47, चन्द्रलोक कॉलोनी,
खजराना रोड, इंदौर
(Rupam)
W/o Shri Ravi Dafaria,
47, Chandralok Colony,
Khajrana Road, Indore.

(449-B.)

नाम परिवर्तन

मेरा घरेलू नाम राखी पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह, निवासी सीता नगर कॉलोनी, भारौली वाईपास रोड, वार्ड नं. 9, भिण्ड घरेलू नाम से लोग मुझे राखी नाम से पुकारते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से मेरा नाम काजल है तथा मेरी शिक्षा और पढ़ाई के कागजात में मेरा नाम काजल ही अंकित है. अतः पूर्व से मेरी शिक्षा सर्टीफिकेट व मार्कशीट में अंकित मेरा नाम काजल ही जाना जावे तथा पूर्व से मेरा घरेलू नाम व राखी समाप्त किया जाता है. यह सादर सूचना प्रकाशित कर हम लोगों की जानकारी हेतु प्रकाशित करा रही हूँ.

पुराना नाम :
(राखी)

नया नाम :
(काजल)
पुत्री-श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह
निवासी—सीता नगर कॉलोनी, भारौली वाईपास रोड,
मकान नं. 1204, वार्ड नं. 9, भिण्ड (म.प्र.).

(450-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा घरेलू नाम सुजाता पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह, निवासी सीता नगर कॉलोनी, भारौली वाईपास रोड, वार्ड नं. 9, भिण्ड घरेलू नाम से लोग मुझे सुजाता नाम से पुकारते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से मेरा नाम उजाला है तथा मेरी शिक्षा और पढ़ाई के कागजात में मेरा नाम उजाला ही अंकित है. अत: पूर्व से मेरी शिक्षा सर्टीफिकेट व मार्कशीट में अंकित मेरा नाम उजाला ही जाना जावे तथा पूर्व से मेरा घरेलू नाम व सुजाता समाप्त किया जाता है. यह सादर सूचना प्रकाशित कर हम लोगों की जानकारी हेतु प्रकाशित करा रही हूँ.

पुराना नाम :
(सुजाता)

नया नाम :
(उजाला)
पुत्री-श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह
निवासी—सीता नगर कॉलोनी, भारौली वाईपास रोड,
मकान नं. 1204, वार्ड नं. 9, भिण्ड (म.प्र.).

(451-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद दानिश आत्मज जाकिर मोहम्मद हूँ. भूलवश मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरे पिता का नाम JAKEER MOHD एवं 12वीं की अंकसूची में ZAKIR MOHD अंकित हो गया है, लेकिन मेरे पिता का सही नाम JAKIR MOHAMMAD है. अत: भविष्य में मुझे इसी नाम (MOHAMMAD DANISH S/o JAKIR MOHAMMAD) से पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(मोहम्मद दानिश)
JAKEER MOHD/ZAKIR MOHD

नया नाम :
(मोहम्मद दानिश)
JAKIR MOHAMMAD

(452-बी.)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रकाशनकर्ता का नाम कु. प्रतिज्ञा ढेंगुला (KU. PRATIGYA DHENGULA) पुत्री श्री राधेश्याम ढेंगुला (SHRI RADHESHYAM DHENGULA) मेरे दस्तावेजी रिकार्ड में अंकित है. विवाह के बाद से मुझ प्रकाशनकर्ता ने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा (SMT. PRATIGYA SHARMA) पत्नी श्री मनीष कुमार शर्मा (SHRI MANISH KUMAR SHARMA) कर लिया है. अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड तथा दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(प्रतिज्ञा ढेंगुला)
(PRATIGYA DHENGULA)
पुत्री-श्री राधेश्याम ढेंगुला,
(SHRI RADHESHYAM DHENGULA)

नया नाम :
(प्रतिज्ञा शर्मा)
(PRATIGYA SHARMA)
पत्नी-श्री मनीष कुमार शर्मा,
(SHRI MANISH KUMAR SHARMA)

(453-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

संजीव कुमार और संजीव कुमार अतुलकर यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. संजीव कुमार को और संजीव कुमार अतुलकर के नाम से आज से जाना जाये.

पुराना नाम :
(संजीव कुमार)

नया नाम :
(संजीव कुमार अतुलकर)
पिता-श्री धर्मू अतुलकर,
निवास—वार्ड क्रमांक 1, आमला,
जिला बैतूल (म. प्र.).

(455-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरी मार्कशीट्स में मेरा नाम दीपराज सिसौदिया लिखा हुआ है, जबकि मेरा सही नाम दीपराज सिंह सिसौदिया है. अत: मेरी मार्कशीट्स सहीत सभी जगह पर मुझे मेरे सही नाम दीपराज सिंह सिसौदिया से लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(दीपराज सिसौदिया)

नया नाम :
(दीपराज सिंह सिसौदिया)
(DEEPRAJ SINGH SISODIYA)
27 ख, स्टेशन रोड, नामली,
जिला रतलाम (म. प्र.).

(457-बी.)

नाम परिवर्तन

हमारी पुत्री का नाम विधिका जोशी था, जिसे हमने बदलकर गिरिजा जोशी कर लिया था किन्तु हम हमारी पुत्री का पुराना नाम विधिका जोशी ही लिखना चाहते हैं. अत: अब से हमारी पुत्री को उसके पुराने नाम विधिका जोशी से ही लिखा व पढ़ा जावे.

नागेश जोशी (पिता),
38, रतनबाग कॉलोनी, इन्दौर (म. प्र.).

(458-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पिल्लू प्रसाद पटवा पिता पुत्र वृन्दावन प्रसाद पटवा, उम्र 52 साल, निवासी हाल मुकाम उमरिया कार्यरत लोक निर्माण विभाग, उमरिया में हेल्पर के पद पर पदस्थ हूं और घोषित करता हूं व आमजन को सूचित करता हूं कि लोक निर्माण विभाग के शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम पिल्लू प्रसाद पटवा अंकित है जबकि मेरा नाम अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में ओंकार प्रसाद पटवा अंकित है. इस त्रुटि के सुधार हेतु मैंने सभी जगह आवेदित कर दिया है.

अत: आप जन मुझे ओंकार प्रसाद पटवा ही जाने व इसी नाम से पुकारे और शासकीय कार्यालय के दस्तावेजों में इस आम सूचना के प्रकाशन अनुसार सुमार कार्य किया जावे. इस आम सूचना में किसी भी प्रकार की बनावट नहीं है.

पुराना नाम :
(पिल्लू प्रसाद पटवा)

नया नाम :
(ओंकार प्रसाद पटवा)
हेल्पर, लो. नि. वि. उमरिया (म. प्र.).

(459-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री आशीष अग्रवाल पुत्र हरीदास अग्रवाल, निवासी खेमरिया सदन द्वितीय तल अरिहन्त पेठा भण्डार के ऊपर, दाना ओली, लश्कर, ग्वालियर का उसका पिछले समस्त अध्ययन के दस्तावेजों में नाम आशीष जैन लिखा हुआ है, जबकि पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बिजली के कार्ड में आशीष अग्रवाल नाम लिखा है, भविष्य में आज दिनांक से अपने समस्त दस्तावेजों में आज दिनांक से मेरा नाम आशीष अग्रवाल पुत्र श्री हरीदास अग्रवाल होगा.

सूचनाकर्ता,
आशीष अग्रवाल
पुत्र हरीदास अग्रवाल,
निवासी-खेमरिया सदन द्वितीय तल,
अरिहन्त पेठा भण्डार के ऊपर,
दाना ओली, लश्कर, ग्वालियर.
द्वारा अभिभाषक
दिनेश सिंह राठौर (एडवोकेट)

(461-बी.)

आम-सूचना

मेरे पक्षकार दिलीप कुमार उर्फ दाताराम प्रजापति पुत्र मनीराम प्रजापति, ए 6, पुरूषोत्तम विहार, गोला का मंदिर, भिण्ड रोड, ग्वालियर के निवासी हैं. मेरे पक्षकार को दाताराम एवं दिलीप दोनों ही नामों से पुकारा जाता है इस कारण कुछ दस्तावेजों में दाताराम एवं कुछ दस्तावेजों में दिलीप प्रजापति नाम अंकित है. मेरा पक्षकार इससे उत्पन्न विषमताओं से बचने के लिये इस आम सूचना के माध्यम से सभी आम और खास को सूचित करता है कि आज दिनांक से मेरे पक्षकार का नाम दिलीप कुमार उर्फ दाताराम प्रजापति पुत्र मनीराम प्रजापति के रूप में जाना जायेगा. जिन दस्तावेजों में मेरे पक्षकार का नाम दाताराम प्रजापति लिखा है उन्हें भी दिलीप कुमार उर्फ दाताराम प्रजापति के रूप में पढ़ा जायेगा और जिन दस्तावेजों में दिलीप प्रजापति अंकित है उन्हें भी दिलीप कुमार उर्फ दाताराम प्रजापति के नाम से पढ़ा जायेगा. इस आम सूचना के बाद इस संबंध में किसी भी प्रकार की मेरे पक्षकार के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इस सूचना के माध्यम से समाप्त मानी जायेगी.

दिलीप कुमार उर्फ दाताराम प्रजापति
पुत्र-मनीराम प्रजापति
निवासी-ए 6, पुरूषोत्तम विहार, गोला का मंदिर,
भिण्ड रोड, ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा-वीरेन्द्र पाल (अभिभाषक).

(463-बी.)

आम-सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स उमंग डेव्हलपर्स जिसका स्थाई पता : 14/7, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 03/27/03/00040/2 है जिसमें एक भागीदार फर्म से जुड़े रहे हैं. राजेश पिता श्री नरेशचन्द्र चेलावत तथा शेष 6 भागीदार यथावत हैं.

1. रवि पिता श्री ओमप्रकाश सोमानी
2. दिनेश पिता श्री ओमप्रकाश सोमानी
3. पवन पिता श्री श्रीचन्द वच्छानी
4. ओमप्रकाश पिता स्व. श्री खुशीराम सोमानी
5. अमित पिता श्री राजेन्द्र पारिख
6. बलदेव पिता श्री रूपचन्द राजानी

तथा 7 नं. भागीदार फर्म से जुड़े रहे हैं. राजेश पिता श्री नरेशचन्द्र चेलावत. सो विदित रहे.

रवि सोमानी,
(भागीदार)
उमंग डेव्हलपर्स.

(454-बी.)

आम-सूचना

''मैसर्स गायत्री एक्सप्लोसिव'' भागीदारी फर्म से भागीदार के विघटन बावत्

मैं पक्षकार ''मैसर्स गायत्री एक्सप्लोसिव'' के समस्त भागीदार (1) श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार, (2) श्री मनोज शिवहरे की ओर से सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि उक्त भागीदारी फर्म से द्वितीय भागीदार (2) श्री मनोज शिवहरे से भागीदारी दिनांक 30-10-2014 से समाप्त कर दी गई है. उक्त भागीदार से फर्म के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वितीय भागीदार (2) श्री मनोज शिवहरे से किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन संव्यवहार न करें और यदि पूर्व किसी व्यक्ति विशेष द्वारा द्वितीय पक्षकार (2) श्री मनोज शिवहरे से कोई लेन-देन हो तो उसे इस जाहिर सूचना के 7 दिवस के अंदर सम्पर्क करें. इसके पश्चात् किसी भी प्रकार कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी. भागीदारी फर्म से द्वितीय भागीदार श्री मनोज शिवहरे से भागीदारी विधिवत् विघटित कर दी गई है, तदानुसार सर्व-साधारण सूचित हो.

मीना रोहर,
(अधिवक्ता)
1560, टैगार वार्ड, गांधी नगर, भोपाल (म. प्र.).

(456-बी.)

आम-सूचना

सर्व-साधारण को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि हमारी फर्म श्रीगंगा ग्रुप के सभी भागीदारों की आपसी सहमति से फर्म के दो भागीदार श्री शैलेन्द्र सिंह तनय श्री गंगा सिंह चौहान व रश्मि सिंह पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह फर्म की भागीदारी से दिनांक 22-02-2012 से अलग हो जायेंगे. अत: उक्त दिनांक के बाद फर्म के कारोबार के सम्बन्ध में उनसे कोई व्यवहार न किया जाये.

श्रीगंगा ग्रुप
योगेन्द्र सिंह
(भागीदारी)
होटल प्रिन्स, सीधी (म. प्र.).

(462-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेसर्स अशोक कुमार मंगतराम फर्म जिसका पता शाप नम्बर-35, नवीन फल एवं सब्जी मंडी, तेजपुर, गड़बड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00246/14, दिनांक 18-2-2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री मंगतराम पिता श्री कृपाराम, 2. श्री ओमप्रकाश पिता श्री भेरूलाल परिडवाल थे. दिनांक 23-09-2014 से 1. श्री कमलेश कुमार पिता श्री गोर्वधनदास डेमला एवं 2. श्री हरीश कुमार पिता श्री गोर्वधनदास डेमला उक्त फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं एवं भागीदार 1. श्री मंगतराम पिता श्री कृपाराम, 2. श्री ओमप्रकाश पिता श्री भेरूलाल परिडवाल उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है. अब फर्म मेसर्स अशोक कुमार मंगतराम से कोई लेना-देना नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे
मेसर्स अशोक कुमार मंगतराम.
1. श्री कमलेश कुमार पिता श्री गोर्वधनदास डेमला
2. श्री हरीश कुमार पिता श्री गोर्वधनदास डेमला
(भागीदार)

(460-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 2014

निविदा सूचना

क्र. जी.बी.चार/डायरी (के-11) 2014-15/3515.—प्रिन्टर्स एवं डायरी निर्माताओं जो मुद्रण और डायरी के विनिर्माण उत्पादन का पर्याप्त अनुभव रखते हों, 20 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्न ओव्हर हो एवं एक वर्ष में 1.4 करोड़ रुपये की डायरी निर्माण का एकल आदेश प्राप्त किया हो से मध्यप्रदेश शासन की डायरी-2015 प्रदाय किये जाने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक **19 दिसम्बर, 2014 अपरान्ह 2.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती हैं.

2. ई-टेण्डरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी **Key-Dates** अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **19 दिसम्बर, 2014 अपराह्न 3.00 बजे** तक प्रस्तुत किया जाना होगा. ई-टेण्डरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कॉपी के लिफाफे दिनांक **19 दिसम्बर, 2014 को अपराह्न 3.30 बजे** स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(912)

Bhopal, Dated 28th November, 2014

TENDER NOTICE

No.GB-IV-Diary/(K-11)/2014-15/3515.—ONLINE Bidding are invited on **https://www.mpeproc.gov.in** from the printers and Diary manufacturers who have sufficient experience of printing and manufacturing of Diaries with production facilities and have annual turnover of Rs. 20 Crores and have essentially obtained and executed at least one single order of manufacturing cost of one crore forty laks of Diaries's printing in a year shall only be eligible for submitting Online Tender on or before **19th December, 2014 upto 2.00 P.M.**

2. In all respects hard copy of technical tender document must be received at the office of undersigned latest by 3.00 P.M. on **19th December, 2014** as per **Key-Dates.** Online opening of the Technical Tender and Hard Copy of the same will be opened on **19th December, 2014** at **3.30 P.M.** in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

ARUN TIWARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(912-A)

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्र./ /10 परीक्षा/पट./प्रशि./2014.—राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव, ग्वालियर निर्धारित परीक्षा केन्द्र में आयोजित पटवारी वार्षिक परीक्षा माह दिसम्बर वर्ष 2014 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

क्र.	दिनांक	परीक्षा का दिन	विषय	परीक्षा का समय
1	2	3	4	5
1.	26-12-14	शुक्रवार	म. प्र. भू. राजस्व संहिता	प्रात: 9.00 से 12.00 बजे तक
2.			म. प्र. भू. अभि. नियमावली	दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक
3.	27-12-14	शनिवार	सर्वे सिद्धान्त	प्रात: 9.00 से 12.00 बजे तक
4.			कम्प्यूटर सैद्धान्तिक	दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक
5.	29-12-14	सोमवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 8.00 से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
6.			तरतीव कागजात	दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक
7.	30-12-14	मंगलवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 8.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
8.	31-12-14	बुधवार	सर्वे/प्लाटिंग करना	प्रात: 9 बजे से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा 1.30 घण्टा होगी. (दिनांक 30-12-2014) को ली गयी परीक्षा की).

टीप:—

1. सर्वे भू-मापन/कम्प्यूटर व्यवहारिक की परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को 1.00 घण्टा एवं सर्वे प्लाटिंग के लिए 1.30 घण्टा समय निर्धारित है.
2. इस परीक्षा में बैठने के लिए अनियमित उम्मीदवार इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के अधीक्षक, भू-अभिलेख अथवा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, महलगांव, ग्वालियर से प्राप्त कर सकते हैं.
3. अनियमित उम्मीदवार दिनांक 10-12-2014 तक अपने आवेदन-पत्र संबंधित जिले में अनिवार्य रूप से जमा करें.

(राजीव रंजन)
आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश.

(911)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, शिवपुरी

दिनांक 07 नवम्बर, 2014

प्र. क्र.02/2014-15/बी-113. **(देखे नियम)**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के तहत्]

चूंकि श्री बांकड़े हनुमान सेवा संस्थान पब्लिक ''ट्रस्ट'' शिवपुरी लोक न्यास की ओर से आवेदक श्री गिर्राज दुबे ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 07 नवम्बर, 2014 को विचार में लिया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	..	श्री बांकड़े हनुमान सेवा संस्थान पब्लिक ''ट्रस्ट'', शिवपुरी.
पता	..	श्री बांकड़े हनुमान सेवा संस्थान पब्लिक ''ट्रस्ट'', शिवपुरी तहसील व जिला शिवपुरी.
चल सम्पत्ति	..	निल.
अचल सम्पत्ति	..	कृषि भूमि ग्राम पिपरसमां सर्वे नंबर 244, 298, 303 रकबा 4.300 है.

डी. के. जैन,

(881) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

प्र. क्र.02/बी-113/2014-15.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री आकाश जैन पुत्र रमेश कुमार जैन, अध्यक्ष एवं श्री निदेश जैन पुत्र श्री के. सी. जैन, महामंत्री, दायोदय श्री विद्यासागर गौसंवर्धन केन्द्र, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम और पता	. .	दायोदय श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केन्द्र, विदिशा. श्री दिगम्बर जैन शीतल विहार मंदिर, शीतलधाम हरिपुरा विदिशा (उपयुक्त स्थान होने पर परिवर्तित किया जा सकेगा.)
चल सम्पत्ति	. .	राशि रुपये 2,51,000/- नकद, आईडीबीआई बैंक, विदिशा के खाता नं. 0406104000047533 में जमा.
अचल सम्पत्ति	. .	वर्तमान में नगर विदिशा में कोई अचल संपत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है.

ए. के. सिंह,
उप-खण्ड अधिकारी.

(882)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17 नवम्बर, 2014

प्र. क्र.01/बी-113/2014-15.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक महंत श्री डा. रामेश्वरदास द्वारा मूर्ति श्री राधाकृष्ण नृसिंह पारमार्थिक न्यास, लखेरवाडी, उज्जैन आदि ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13 दिसम्बर, 2014 को प्रात: 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 दिसम्बर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	. .	श्री राधाकृष्ण नृसिंह पारमार्थिक न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	. .	लखेरवाडी, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	. .	निरंक है.
चल सम्पत्ति	. .	ऑडिट रिपोर्ट अनुसार भारतीय स्टेट बैंक इंडिया शाखा, पटनी बाजार, उज्जैन में राशि 11089/- तथा मंदिर संपत्ति है.

(884)

उज्जैन, दिनांक 17 नवम्बर, 2014

प्र. क्र.31/बी-113/2014-15.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक श्री संजय पिता धन्नालाल मालवीय, निवासी 3/1, भेरूनाला ईमलीपुरा, तिलकेश्वर मार्ग, उज्जैन आदि ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13 दिसम्बर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 दिसम्बर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	. .	श्री राम मंदिर (धर्मशाला) मालवीय बलाई समाज, उज्जैन.
कार्यालय	. .	19/11 ईमलीपुरा, वृंदावनपुरा, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	. .	निरंक है.
चल सम्पत्ति	. .	निरंक है.

रोहन सक्सेना,
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(884-ए)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 9 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2014/..... झाबुआ दिनांक ..... के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी

संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापनक आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आदि. वस्तु क्रय-विक्रय सहकारी संस्था, झाबुआ	928/08-08-1996	43/17-01-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पिपलखुटा	1464/30-08-2006	567/02-12-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रसोडी	889/19-04-2004	567/02-12-2013
4.	भोलेनाथ बीज उत्पा. सह. संस्था, नरवाली	1067/25-10-2010	213-4/18-03-2014
5.	शिवशक्ति बीज उत्पाद. सह. संस्था, नवापाड़ा	1068/25-10-2010	213/18-03-2014
6.	लीला बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., आम्बा	1066/18-10-2010	213/18-03-2014
7.	सरदार वल्लभ बीज उत्पा. सह. परवलिया	1072/10-06-2011	213/18-03-2014
8.	मुर्गी पालन सह. संस्था मर्या., टाण्डागोली	967/09-10-2001	451-8/25-08-2014

अत: मैं, कैलाश मूवेल, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैद्य कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

कैलाश मूवेल,
परिमसापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(885)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू./2014.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2014/213-2, झाबुआ दिनांक 18 मार्च, 2014 के अनुसार निम्न सहकारी समिति का जिसका नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापनक आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	गणेश बीज आजीविका सहकारी संस्था मर्या., हनुमन्त्या	1052/13-07-2010	213-2/18-03-14

अत: मैं, सुभाष कर्णिक, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैद्य कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

(889)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू./2014.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2014/451-3 झाबुआ दिनांक 25 अगस्त, 2014 के अनुसार निम्न सहकारी समिति का जिसका नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापनक आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., पलासडोर	965/09-10-2001	451-3/25-08-2014

अत: मैं, सुभाष कर्णिक, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैद्य कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

सुभाष कर्णिक,
परिमसापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(889)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/566, दिनांक 16 मई, 2006 से जया कामगार महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./608, दिनांक 08 मार्च, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री किशोर अहरवाल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारी संस्थाएं, विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा जया कामगार महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जया कामगार महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./608, दिनांक 08 मार्च, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(886)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/247, दिनांक 28 फरवरी, 2007 से कविता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./631, दिनांक 05 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री किशोर अहरवाल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारी संस्थाएं, विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा कविता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कविता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./631, दिनांक 05 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(886-A)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/1114, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 से अभिनव ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्यादित, ग्यारसपुर, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./675, दिनांक 05 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड ग्यारसपुर, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा अभिनव ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्यादित, ग्यारसपुर, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अभिनव ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्यादित, ग्यारसपुर, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./675, दिनांक 05 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(886-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014

क्र./परि./2014/2273.-दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छोटा टिगरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./571, दिनांक 13 नवम्बर, 1984 है, तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक को संशोधित आदेश क्र. 1134, दिनांक 16 अप्रैल, 2013 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 12 जून, 2014 आयोजित कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छोटा टिगरिया, तहसील देवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत् पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(887)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/986.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, डोडियाना, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/452, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, डोडियाना, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/987.—पुष्करणा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, पलयोडा, तहसील व जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/442, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुष्करणा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, पलयोडा, तहसील व जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-A)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/988.—नगरपालिका कर्मचारी साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/451, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिक कर्मचारी साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक /सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-B)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/989.—सुभाष गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/446, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुभाष गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. चौहान वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-C)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/990.—नगरपालिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/447, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-D)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/991.—महात्मा गांधी बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/448, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक /सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-E)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/992.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुर्जर बर्डिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/453, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुर्जर बर्डिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-F)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/993.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, सादाखेडी, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/454, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, सादाखेडी, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-G)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/994.—अनामिका नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/456, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनामिका नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-H)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/995.—रतलाम नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/444, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-I)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/996.—चम्बल बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, आलोट, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/450, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए चम्बल बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, आलोट, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-J)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/997.—प्रयास साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/443, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयास साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-K)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/998.—कम्बल बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/455, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्बल बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-L)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/999.—सिखवाल श्रृंग समाज साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/451, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिखवाल श्रृंग समाज साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888- M)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/1000.—विश्वमाता बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बडायला माताजी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/445, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वमाता बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बडायला माताजी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(888-N)

रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/1001.—महावीर बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/449, रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. सोसायटी द्वारा कारण बताओ

सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप रजिस्ट्रार.

(888-O)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन ने करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रूचि न लेने से जारी किया गया था. जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत प्रारूप के कॉलम-6 में उल्लेखित अधिकारी को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:—

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकास खण्ड	जारी सूचना पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	मण्डलेश्वर सहकारी कृषि उपज सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर.	771/19-06-2014	महेश्वर	771/19-06-2014	श्री पी. सी. सोलंकी, वरि. सह. निरीक्षक.
2.	नगरपालिका कर्मचारी साख सहकारी संस्था, मर्या., खरगोन.	772/19-06-2014	खरगोन	772/19-06-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.
3.	राजराजेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., महेश्वर.	1028/12-12-1996	महेश्वर	773/19-06-2014	श्री पी. सी. सोलंकी, वरि. सह. निरीक्षक.
4.	देवी अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर.	1498/22-01-2007	महेश्वर	774/19-06-2014	श्री पी. सी. सोलंकी, वरि. सह. निरीक्षक.

1	2	3	4	5	6
5.	माँ अयोध्या साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन.	1418/20-04-2005	खरगोन	775/19-06-2014	श्रीमती भारती मंडलोई, वरि. सह. निरीक्षक.
6.	बालाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगोन.	1327/15-01-2002	खरगोन	776/19-06-2014	श्रीमती प्रभा बघेल, सह. निरीक्षक.
7.	नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह.	1330/10-10-2002	बड़वाह	777/19-06-2014	श्री मनोहर वास्केल, सह. निरीक्षक.
8.	श्री धनलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगोन.	1328/10-10-2002	खरगोन	778/19-06-2014	श्री के. के. अधिकार, वरि. सह. निरीक्षक.
9.	सिंगाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दोमवाडा	1348/01-07-2003	सेगांवा	779/19-06-2014	श्री राजाराम भट्ट, सह. वि. अधिकारी.
10.	माँ अम्बेडकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दाऊतखेडी	1349/16-07-2003	भगवानपुरा	780/19-06-2014	श्री एस. एस. रावत, वरि. सह. निरीक्षक.
11.	श्री नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कदवाली.	1354/03-01-2004	भगवानपुरा	781/19-06-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरीक्षक.
12.	रानी दुर्गावति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बहादरपुरा.	1358/03-01-2004	भगवानपुरा	782/19-06-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधिकारी.
13.	श्री लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडी.	1413/23-03-2005	भगवानपुरा	783/19-06-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधिकारी.
14.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सोनखेडी.	1414/12-04-2005	झिरन्या	784/19-06-2014	श्री बसंत यादव, सह. वि. अधिकारी.
15.	कान्हा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देजला.	1525/25-08-2007	भगवानपुरा	785/19-06-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधिकारी.
16.	सतीमाता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भड़वाली.	1362/13-02-2004	सेगांवा	786/19-06-2014	श्री राजाराम भट्ट, सह. वि. अधिकारी.
17.	मॉ रेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैतापुर.	1533/11-09-2007	खरगोन	788/19-06-2014	श्रीमती प्रभा पटेल, सह. निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन ने करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रूचि न लेने से जारी किया गया था. जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत प्रारूप के कॉलम-6 में उल्लेखित अधिकारी को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:—

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	संशोधित पंजीयन नम्बर	जारी सूचना पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नाथ साख सहकारिता मर्या., खरगोन	02/07-07-2001	1705/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.
2.	अरहिन्त आफसेफ सहकारिता प्रेस नुतन नगर, खरगोन.	05/22-10-2010	1708/10-03-2014	115/01-09-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.
3.	मॉ अंबिता बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., खरगोन.	10/23-08-2002	1713/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.
4.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	12/12-09-2002	1715/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.
5.	मातृशक्ति साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	28/01-09-2003	1731/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.
6.	प्रियदर्शनी साख सहकारिता मर्यादित, बडवाह.	29/08-09-2003	1732/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री मनोहर वास्केल, सह. वि. अधि.
7.	सलोनी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	35/25-11-2003	1738/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री सौहान चौहान, सह. निरीक्षक.
8.	लक्ष्मी महिला साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	39/22-12-2003	1743/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.
9.	बजरंग साख सहकारिता मर्यादित, कुण्डिया पोस्ट-ठिबगांव.	46/13-03-2004	1748/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री मनोहर वास्केल, सह. वि. अधि.
10.	साख सहकारिता मर्यादित, धुलकोट	17/17-06-2004	1753/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री एस. एस. रावत, वरि. सह. निरीक्षक.
11.	श्रीलक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	58/18-11-2004	1760/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरीक्षक.
12.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति साख सहकारिता मर्या., खरगोन.	60/11-01-2005	1762/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधिकारी.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(890-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

संलग्न सूची अनुसार 162 संस्थाएं.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/774.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार संस्था की संरचना, प्रबंधन एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में सहायक रजिस्ट्रार (ऑडिट), सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी से संस्था के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को निम्न कारणों के आधार पर परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. संस्था सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
2. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था. संस्था उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रही है.
3. संस्था ने अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन बंद कर दिया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहा है.
5. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
6. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संस्था नियत समय अवधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से संस्था का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक : एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि तीन सप्ताह के भीतर कार्यालयीन समय में आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित/मौखिक रूप से यह बतायें कि उपरोक्त कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जावे.

उक्तांकित के संबंध में यदि आपका यथेष्ठ उत्तर नियत समयावधि में प्राप्त नहीं होता अथवा प्रस्तुत उत्तर संतोषकारक नहीं पाया जाता तो ऐसी स्थिति में यह मानकर कि, प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उल्लेखित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

धारा-69 (3) अन्तर्गत जारी कारण बताओ सूचना-पत्र संबंधी संस्थाओं की सूची

1. प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सीधी
2. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ममदर
3. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिठौरा
4. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोदौरा
5. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़ागांव
6. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तेदुहा नं. 2
7. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुचवाही
8. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजरही उन्मुक्त
9. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझरेटी कोठार
10. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जनकपुर
11. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुशियारी
12. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तेदुहा नं. 1
13. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घटोखर
14. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना
15. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदरेह
16. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हटवा
17. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भनवारी
18. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडखरा 739
19. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडखरा 740
20. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रघुनाथपुर
21. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रतवार
22. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खजुरिहा
23. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बागड
24. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया

25. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साडा
26. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टकटैया
27. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मरसरहा
28. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., काष्टा कोठार
29. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडोखर
30. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडखरा 734
31. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़वा
32. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उपनी
33. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोगीपुर दक्षिण
34. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनवार चौहानन टोला
35. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाडी
36. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुअरा
37. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदैनिया
38. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पचोखर
39. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कपुरी बघेलान
40. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुबरी
41. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौआ
42. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोल्हूडीह
43. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मडवा
44. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुरवा नं. 1
45. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छुहिया
46. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डेम्हा
47. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौगवा धीर सिंह
48. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरवाह
49. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौफाल कोठार
50. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेन्दुआ
51. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोचिटा
52. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शुकवारी मझारी
53. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मधुरी पवाई
54. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जमुनिहा कला
55. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टीकट कला
56. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौफाल पवाई
57. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया
58. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडखुरी नं. 2
59. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडा लोलर सिंह
60. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खरहना
61. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामगढ
62. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडा बबन सिंह
63. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुबरी
64. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कोठार
65. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिहौलिया
66. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हडबडो
67. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दादर
68. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डांगा
69. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताला
70. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चुवाही
71. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरिया
72. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बढौरा
73. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौहरिया कलॉ
74. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मवई
75. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भितरी
76. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुजरेड
77. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुशमहर
78. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरा
79. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैपखार
80. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धुम्मा
81. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कपुरी बढौलिहान
82. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., किटहनी
83. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरी
84. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भाठा
85. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंजारी
86. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनवार बघेलान
87. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जमोडी कलॉ
88. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुर्दाडीह
89. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरिया
90. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बघोर
91. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुअरा
92. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरूही
93. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगवॉ
94. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पमरिया
95. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमुरी
96. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सतोहरी
97. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरिहा
98. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बूसी
99. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साडा (शिवराजपुर)
100. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमहिया

101. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खडौरा
102. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझिगवॉ
103. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजरी
104. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बकवा
105. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नदहा
106. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोतरा
107. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हर्दी
108. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोंडी (बस्तुआ)
109. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हटवादेवार्थ
110. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खोरवा टोला
111. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिहावल
112. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमिलिया
113. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडखुरी 586
114. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरदह
115. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैपखरा (रा.नै.)
116. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खड्डीखुर्द
117. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमिलिहा
118. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौं
119. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बजरंगगढ
120. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौहार
121. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुपेला
122. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुआरी
123. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटहा
124. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडेसर
125. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खड्डीकलॉ
126. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कोतरकलॉ
127. लक्ष्मी आदिवासी महिला बुनकर सहकारी समिति मर्या., टमसार
128. गणेश ऊनी दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., भितरी
129. प्राथ. कमला टाट पट्टी दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., नौगवा धीर सिंह.
130. कमल मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या., दुअराकला
131. कोषा रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या., लोहझर
132. लक्ष्मी लौहकाष्टकला औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., चुरहट
133. अमर गौण खनिज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सीधी
134. रेशम कोषा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरबंधा
135. आकांक्षा महिला सिलाई कढाई औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., गुलवासपुर
136. महिला सिलाई कढाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., झाला
137. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., भुईमाड
138. दक्षिणांचल माझी मछुआ मछली उद्योग सहकारी समिति मर्या., ठोगा.
139. आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या.,बरसेनी
140. आदर्श हरिजन मछली पालन सहकारी समिति मर्या., कुबरी
141. आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर
142. मछुआ सहकारी समिति मर्या., सारोखुर्द
143. हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., कुडिया
144. मत्स्योद्योग विकास सहकारी समिति मर्या., गोरियरा
145. आर्दश आदिवासी महिला मछली पालन सहकारी समिति मर्या., टमसार बरचर.
146. शिव आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गिजवार
147. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., खोहा
148. आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., अकौना शेरगांव
149. आदर्श माझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रतवार (खड्डी खुर्द)
150. महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुशमहर
151. महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., जमोडीकलॉ
152. आदर्श महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हडबडो
153. महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पडखुरी बिशुनी टोला
154. महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., गिजवार
155. ईंधन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., टीकट खुर्द
156. आदर्श क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., जोगीपुर
157. प्राथमिक तेल एवं तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा.
158. लघु बनोपज औषधि एवं अन्य उत्पाद क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., पथरौला.
159. आदर्श परिहवन सहकारी समिति मर्या., सीधी
160. अवंतिका बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौगवा धीर सिंह
161. आदर्श स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग प्रेस उद्योग सहकारी समिति मर्या., कोटहा सीधी.
162. महामाया प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सहकारी समिति मर्या., कोटहा सीधी.

नरेश सिन्हा,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक, नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कदवाली

कदवाली, दिनांक 7 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1.—नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कदवाली, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक एन. एम. आर.(के. आर. जी. एन.)/1354, दिनांक 3 जनवरी, 2004 है, को कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./14/1317, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना आज दिनांक 7 नवम्बर, 2014 को मेरे द्वारा मेरे हस्ताक्षर पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892)

कार्यालय परिसमापक, श्री लक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन

खरगोन, दिनांक 7 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1.—श्री लक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 18 नवम्बर, 2004 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./14/1327, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना आज दिनांक 7 नवम्बर, 2014 को मेरे द्वारा मेरे हस्ताक्षर पदमुद्रा से जारी किया गया.

मोहन परमार,
वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक.

(892-A)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (ए/क (1) (2) (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/3405.—यह कि पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./757, दिनांक 30 जुलाई, 1998 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. प्रभारी अधिकारी श्री विजय दिशोरिया, उप-अंकेक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2013 से अवगत कराया कि संस्था में मात्र 20 सदस्य शेष हैं एवं कोई भूमि भू-खण्ड शेष नहीं है तथा संस्था के सदस्यों द्वारा अनुरोध-पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2013 कार्यालय को प्रस्तुत किया. जिसमें संस्था का पंजीयन निरस्ती हेतु निर्णय लिया

गया जिसके तारतम्य पत्र क्रमांक 2929, दिनांक 27 अगस्त, 2014 से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र पंजीयन निरस्ती हेतु जारी किया गया जिसका उत्तर प्राप्त हुआ जिस अनुसार संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. उपरोक्त वर्णित कारण से स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने में संस्था को कोई रूचि नहीं है.

अत: मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्र./डी. आर./आय.डी.आर./757, दिनांक 30 जुलाई, 1998 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (2) के अन्तर्गत श्री एस. के. व्यास, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्ति कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की अस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त.

(893)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यु.—कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लीलीखेडी तह. बदनावर.	461/19-03-1982	1445/24-09-2014	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजुरिया, तह. बदनावर.	814/25-05-1992	1444/24-09-2014	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेरछा, तह. धार.	1085/05-10-2001	1448/24-09-2014	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चालनी, तह. सरदारपुर.	612/22-10-1984	1447/24-09-2014	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरियाबड़ा, तह. धार.	1105/25-06-2002	1445/24-09-2014	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखापुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एस. एस. चौहान,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(894)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, सिमरोद	399/18-04-1970	990/25-07-2014
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, म्याना	816/20-12-1995	
3.	सहरिया मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, नेहगमा	580/20-04-1987	
4.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, चीमरामपुर	552/29-01-1986	
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पारकना	1117/10-01-2007	
6.	आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था, चीमरामपुर बमोरी	552/29-01-1986	
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गणेशखेडा	513/27-03-1979	
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नरयाई	742/07-03-1995	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखापुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

जी. के. वास्त्री,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(895)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	कामगार सहकारी संस्था, भदौरा	787/29-07-1995	994/25-07-2014

1	2	3	4
2.	जनजाति वन श्रमिक सहकारी संस्था, टकनेरा	160/24-07-1965	
3.	आदर्श रविदास चर्म उद्योग सहकारी संस्था, खैराड राधौगढ़	96/28-02-1977	
4.	धनिया उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था, गुना	872/13-04-1998	
5.	बुनकर सहकारी संस्था, राधौगढ	158/15-08-1958	
6.	आदर्श फल साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, गुना	729/23-12-1993	
7.	न्यू उत्तम सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, विजयपुर	901/27-12-2001	
8.	ओम सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, चांचौडा	913/16-04-2001	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखापुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

एफ. ए. खान,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(896)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था, बरखेडाहाट.	1107/07-07-2006	988/25-07-2014
2.	हरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, श्यामपुर बमोरी	1135/16-09-2008	
3.	पर्व किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था, गुना	983/30-05-2003	
4.	जय दुर्गे बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, म्यानाचौराहा गुना.	1160/31-03-2011	
5.	एक्शन बैट्री सहकारी संस्था, गुना	306/17-09-1991	
6.	अन्त्योदय ईंटभट्टा सहकारी संस्था, बमोरी	720/21-07-1993	
7.	शासकीय अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	581/25-05-1986	
8.	पुलिस विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	545/26-04-1984	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखापुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

डी. पी. राठौर,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(897)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	शिवाजी गुडखांडसारी सहकारी संस्था, डुमेली	140/14-11-1963	995/25-07-2014
2.	प्रजापति गुडखांडसारी सहकारी संस्था, बजरंगगढ	51/03-12-1960	
3.	बांस उद्योग गुडखांडसारी सहकारी संस्था, भदौरा	45/26-02-1960	
4.	राजीव गांधी ऑफसेट मुद्रणालय सहकारी संस्था, गुना	528/27-11-1996	
5.	श्रमिक हम्माल सहकारी संस्था, विजयपुर	589/17-02-1987	
6.	जवाहर आदिवासी सहकारी संस्था, मगरोडा	114/12-02-1963	
7.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, मधुसूदनगढ़	508/23-02-1995	
8.	कत्था उद्योग सहकारी संस्था, बेरखेडी	559/15-01-1996	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखापुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

सी. एम. धूलिया,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(898)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, अगरपुरा	808/15-12-1995	998/25-07-2014

1	2	3	4
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, वनवीरखेडी	782/31-03-1995	
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पीपलखेडी	760/30-03-1995	
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बरखेडागिर्द	970/17-3-03	
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बूढाखेडा	974/17-03-2003	
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, खामखेडा	976/17-03-2003	
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गेहूँखेडा	1067/20-07-2005	
8.	गौरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मूडराखुर्द	1070/29-08-2005	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

सतीश अग्रवाल,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(899)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, देहरीखुर्द	972/17-03-2003	985/25-07-2014
2.	दीनदयाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मूडराखुर्द	1070/29-08-2005	
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, देवमणी	973/17-03-2003	
4.	मैथिल काष्ठकलां उद्योग संस्था, राघौगढ़	548/03-12-1984	
5.	दुग्ध उत्पादक संस्था, भौरा (बमोरी)	750/09-03-1995	
6.	दुग्ध उत्पादक संस्था, मगरोडा	757/02-03-1995	
7.	दुग्ध उत्पादक संस्था, अकोदा (बमौरी)	749/09-07-1995	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

एन. एस. बरेलिया,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(900)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था, बजरंगगढ	4719/04-04-1948	983/25-07-2014
2.	आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था, चांचौड़ा	518/24-02-1995	
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, म्याना	816/20-12-1995	
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, जोगीराणा	540/10-09-1993	
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, भोगीपुरा	770/30-03-1995	
6.	राजीव गांधी आफसेट प्रिन्टिग प्रेस, गुना	528/27-11-1996	
7.	नारी कल्याण सहकारी संस्था, गुना	576/13-03-1977	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

अमरसिंह,
अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक.

(901)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, परसोदा	840/25-07-2013	992/25-07-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पीलीघटा	744/07-03-1995	
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नठाई	742/07-03-1995	
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, सुन्दरखेडी	1131/24-06-2008	
5.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, खम्खेडी	660/18-10-1991	
6.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, तमेडी	663/18-10-1991	
7.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, मांची	669/18-10-1991	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

नवीन शर्मा,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(902)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बडपुरा	1084/13-01-2006	991/25-07-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, सूजापुरा	1114/02-01-2007	
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नारायणपुरा	1116/10-01-2007	
4.	नवीन मछुआ सहकारी संस्था, बजरंगगढ़	895/08-01-2010	
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पैंची	510/27-03-1979	
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कादीखेडा	1142/07-07-2009	
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, रघुनाथपुरा	1145/07-07-2009	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

विजय गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(903)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, कुढईडेर	668/18-10-1991	997/25-07-2014
2.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, चन्दनवेटा	667/18-10-1991	
3.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, वंसतपुरा	662/26-10-1991	

1	2	3	4
4.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, बरईयाखेडी	681/26-10-1991	
5.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, नागनपुर	682/26-10-1991	
6.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, पाठी	694/26-11-1991	
7.	वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, सीघनपुर	696/30-11-1991	
8.	जिला वृक्ष सहकारी यूनियन मर्यादित, गुना	710/20-12-2001	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

गोपाल शर्मा,

(904) लेखाधिकारी विपणन संघ, गुना एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	ईंट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था, गोविंदपुरा	548/31-12-1984	984/25-07-2014
2.	काष्टकलां उद्योग सहकारी संस्था, रानीखैजरा	742/23-12-1966	
3.	जाटव चर्मकार सहकारी संस्था, कुंभराज	2337/25-07-1997	
4.	सामान्य मछुआ सहकारी संस्था, राघौगढ़	7341/01-11-1994	
5.	महाकाल सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, गुना	1050/14-03-2005	
6.	शिव फल साग सब्जी संस्था, गुना	924/27-09-2001	
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, हरिपुर (बमोरी)	944/08-05-2002	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आई. एल. किरार,

(905) वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, कैकडीविरान	408/15-05-1970	993/25-07-2014
2.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, खुटियावद	172/03-03-1966	
3.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, भौरागिर्द	171/03-03-1966	
4.	दि न्यू सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, चकचौरोल	10/25-05-1955	
5.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, सरखण्डी	169/04-02-1966	
6.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, वेंहटाघाट	166/16-11-1966	
7.	आदर्श संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, फतेहगढ	258/05-12-1955	
8.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, मोरखेडी	366/29-02-1968	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

एम. एल. तरवरीया,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(906)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	इंदिरागांधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, गुना	898/14-07-2000	987/25-07-2014
2.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, विसोनिया	1030/09-09-2004	
3.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, चिरौल	10013/30-12-1968	
4.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था, जामनेर	456/10-05-1956	
5.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था, राघौगढ़	460/03-08-1959	
6.	ईंट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था, गोविन्दपुरा	547/29-09-1984	
7.	श्रीकृष्ण तेल उत्पादक सहकारी संस्था, म्याना	94/25-08-1962	
8.	भैरा तेल उत्पादक सहकारी संस्था, खुटियावद	60/23-03-1962	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. सी. कोरी,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(907)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	लक्ष्मी सैनिक चर्मकार सहकारी संस्था, भमावद	12325/29-05-1959	986/25-07-2014
2.	दीपक स्पिनर्स कर्मचारी प्रा. सहकारी उप. भण्डार, पगारा, गुना	875/20-07-1998	
3.	भारतीय महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार, गुना	1081/27-12-2005	
4.	माँ शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार, गुना	1102/26-05-2006	
5.	महिला स्वाधार बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, गुना	907/28-03-2001	
6.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कीताखेडी	1031/14-09-2004	
7.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, गादेर	1053/25-04-2005	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. सी. जाटव,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(908)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	हरीओम तेल उत्पादक सहकारी संस्था, लौडेरी	84/23-03-1962	996/25-07-2014
2.	गजानन तेल उत्पादक सहकारी संस्था, रामनगर	712/05-12-1988	

1	2	3	4
3.	जवाहर वर्धा तेलघानी सहकारी संस्था, ऊमरी	557/31-03-1957	
4.	श्याम तेल उत्पादक सहकारी संस्था, श्यामपुर	39/19-01-2007	
5.	चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था, बजरंगगढ़	4719/04-04-1948	
6.	चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था, डुंगासरा	55/22-12-1970	
7.	लक्ष्मी सैनिक चर्मकार सहकारी संस्था, भमावद	12325/29-05-1959	
8.	गांधी गुडखांडसारी सहकारी संस्था, नारायणपुर	147/17-04-1964	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

रायसिंह भील,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(909)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, गुना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	714/02-05-1992	989/25-07-2014
2.	गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	528/19-07-1981	
3.	अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	643/24-04-1997	
4.	दिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	585/07-08-1987	
5.	दि गुना गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	525/30-06-1980	
6.	राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	1048/18-02-2005	
7.	जवाहर गृह निर्माण सहकारी संस्था, गुना	546/01-06-1984	
8.	आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, चकगुलवाडा	112/10-05-1954	

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें त्रुटी की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था की कोई जानकारी/दस्तावेज/लेखा पुस्तिका किसी सदस्य के पास भूतपूर्व कर्मचारी/पदाधिकारी के पास उपलब्ध हो तो वह उन्हें मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

बी. एस. रघुवंशी,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(910)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2014-अग्रहायण 14, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 6 अगस्त, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा (मुरैना), रामपुर-बघेलान (सतना), घटिया (उज्जैन), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), धरमपुरी, डही (धार), ठीकरी, सेंधवा (बड़वानी), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मैहर (सतना), रामपुरनैकिन (सीधी), सीतामऊ, कयामपुर (मंदसौर), रतलाम (रतलाम), महिदपुर, नागदा (उज्जैन), शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), अलीराजपुर, च. शेखर आ. नगर. (अलीराजपुर), कुक्षी (धार), बड़वानी, राजपुर, पानसेमल, पाटी (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), बैतूल, मुल्ताई, आठनेर (बैतूल), पांढुर्णा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील दतिया (दतिया), नरवर (शिवपुरी), नागौद, उचेहरा, अमरपाटन (सतना), मल्हारगढ़, मंदसौर, श्यामगढ़, संजीत (मंदसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, पिपलौदा (रतलाम) खाचरौद, तराना, उज्जैन (उज्जैन), मो. बड़ोदिया (शाजापुर), सोण्डवा (अलीराजपुर) धार, मनावर (धार), निवाली (बड़वानी), भैंसदेही (बैतूल), सिवनी-मालवा, बाबई, इटारसी (होशंगाबाद) सोंसर (छिन्दवाड़ा) केवलारी, कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), सेंवढ़ा, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, खनियाधाना, कोलारस, बदरवास (शिवपुरी), गुना, राघौगढ़, बमौरी, आरोन, चांचौडा, कुंभराज (गुना), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), बीना, बंडा, सागर, रहेली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर), रघुराजनगर, मझगवां, रामनगर, बिरसिंहपुर (सतना), त्यौंथर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंहनगर, बुढ़ार (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट (सीधी), सुबासरा टप्पा, भानपुरा, गरौठ, धुन्धड़का (मंदसौर), बड़नगर (उज्जैन), जोवट, कट्टीवाडा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, गंधवानी (धार), लटेरी, सिरौंज, कुरवाई, बसौदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), रायसेन, गैरतगंज बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, आमला (बैतूल) होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पंचमढ़ी (होशंगाबाद), पाटन, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), रीठी, बहोरीबंद, ढ़ीमरखेड़ा, बड़वारा,

बरही (कटनी), निवास, नैनपुर, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मंडला), डिण्डोरी, बजाग, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हर्रई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, बरघाट, घन्सौर, घनोरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.1 से अधिकतम तक.—तहसील कराहल (श्योपुर), घाटीगांव (ग्वालियर), पिछोर, करैरा, पोहरी, शिवपुरी, खुरई, मालथोन (सागर), सिरमोर (रीवा), गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर) बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदवनास (सीधी) सीहोरा, मझोली (जबलपुर), कटनी, विजयराघौगढ़ (कटनी), बिछिया (मंडला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, बड़वानी, भोपाल, रायसेन (रायसेन), होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिण्डोरी व सिवनी में धान की रोपाई एवं जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिवनी में फसल, रामतिल, कोदों-कुटकी, व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगौन, जबलपुर व नरसिंहपुर में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, झाबुआ, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 6 अगस्त, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	62		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	08		(2) . .		
3. मुरैना	152				
4. जौरा	98				
5. सबलगढ़	64				
6. कैलारस	112				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	189.0		4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तुआर, तिल, मूंग, उड़द सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	282.0		(2) . .		
3. विजयपुर	74.0				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	233.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	233.7		(2) . .		
3. भितरवार	117.1				
4. घाटीगांव	256.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	134.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	46.0		(2) . .		
3. भाण्डेर	148.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	80.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	305.0		(2) . .		
3. खनियाधाना	110.0				
4. नरवर	46.0				
5. करैरा	315.0				
6. कोलारस	54.0				
7. पोहरी	274.0				
8. बदरवास	148.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	239.9		4. (1) सोयाबीन, मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	140.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	147.0				
4. आरोन	164.0				
5. चाचौड़ा	156.0				
6. कुम्भराज	155.0				
***जिला टीकमगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	64.0	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	84.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	62.8				
4. छतरपुर	82.2				
5. राजनगर	152.8				
6. बिजावर	108.0				
7. बड़ामलहरा	147.8				
8. बकस्वाहा	156.8				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	112.8	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	294.6		उड़द, मूंग,अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	180.4		सोयाबीन कम.		
4. सागर	157.9		(2) . .		
5. रेहली	120.3				
6. देवरी	149.5				
7. गढ़ाकोटा	144.2				
8. राहतगढ़	235.2				
9. केसली	155.0				
10. मालथोन	290.6				
11. शाहगढ़	155.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	55.6		4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	56.0		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	10.0				
4. नागौद	45.3				
5. उचेहरा	42.0				
6. अमरपाटन	35.0				
7. रामनगर	65.0				
8. मैहर	19.0				
9. बिरसिंहपुर	56.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	215.0		4. (1) धान, सोयाबीन, ज्वार, मूंग, उड़द, अरहर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	290.9		(2) . .		
3. मऊगंज	191.4				
4. हनुमना	144.4				
5. हजूर	144.4				
6. गुढ़	121.2				
7. रायपुरकर्चुलियान	106.2				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	240.0		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	187.0		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	186.0				
4. गोहपारु	256.0				
5. जैतपुर	342.0				
6. बुढार	176.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	154.5		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, राहर, कोदों-कुटकी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	170.9		(2) . .		
3. कोतमा	299.6				
4. पुष्पराजगढ़	197.7				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	300.5		4. (1) धान, तुअर, तिल, सोयाबीन कम. मक्का, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	108.0		(2) . .		
3. मानपुर	235.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	374.4		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों-कुटकी कम. मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	137.2				
3. मझौली	212.2				
4. कुसमी	161.0		(2) . .		
5. चुरहट	66.6				
6. रामपुरनैकिन	26.8				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	55.8		4. (1) सोयाबीन, गन्ना अधिक. मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद. . .	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	207.0				
3. मल्हारगढ़	37.0		(2) . .		
4. गरोठ	107.8				
5. मन्दसौर	39.0				
6. श्यामगढ़	46.2				
7. सीतामऊ	20.4				
8. धुन्धड़का	79.0				
9. संजीत	37.0				
10.कयामपुर	28.2				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. तिल, मूँगफली कम. तुवर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .				
3. मनासा	. .		(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	41.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	37.0		(2) . .		
3. सैलाना	48.5				
4. बाजना	95.0				
5. पिपलौदा	36.0				
6. रतलाम	34.6				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	35.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	28.0		(2) . .		
3. तराना	39.0				
4. घटिया	16.0				
5. उज्जैन	52.0				
6. बड़नगर	56.6				
7. नागदा	31.0				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	40.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद. . .	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	18.0		(2) . .		
3. शुजालपुर	26.0				
4. कालापीपल	33.0				
5. गुलाना	20.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) कपास, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	14.8		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन, तुवर, उड़द कम. कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	13.0		(2) . .		
3. पेटलावद	17.0				
4. झाबुआ	9.0				
5. राणापुर	4.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	137.8		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूंग, कपास समान. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	18.4		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	170.0				
4. सोण्डवा	40.0				
5. उदयगढ़	141.4				
6. च.शं. आ. नगर	203.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	75.6		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	61.0		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. धार	46.8				
4. कुक्षी	34.3				
5. मनावर	45.0				
6. धरमपुरी	13.0				
7. गंधवानी	90.0				
8. डही	4.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	18.0		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	4.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	21.0				
4. सेंधवा	13.0				
5. पानसेमल	33.0				
6. पाटी	18.0				
7. निवाली	35.0				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	3.0		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	19.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	15.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	116.0		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	73.0		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	155.2				
4. बासौदा	66.4				
5. नटेरन	100.0				
6. विदिशा	50.2				
7. गुलाबगंज	20.0				
8. ग्यारसपुर	52.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	35.8		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	30.5		तुअर, मूँग, मूँगफली, ज्वार समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसल समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	39.8		4. (1) धान, अरहर, मूँग, उड़द, तिल अधिक. ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	79.2		(2) . .		
3. बेगमगंज	75.1				
4. गोहरगंज	59.0				
5. बरेली	66.0				
6. सिलवानी	80.0				
7. बाड़ी	40.0				
8. उदयपुरा	35.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	3.4		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	13.6		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. शाहपुर	5.2				
4. चिचोली	20.3				
5. बैतूल	9.8				
6. मुलताई	4.6				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	28.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	45.0		4. (1) धान, गन्ना, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	81.2		(2) . .		
3. बाबई	41.0				
4. इटारसी	44.6				
5. सोहागपुर	58.0				
6. पिपरिया	71.6				
7. वनखेड़ी	81.2				
8. पचमढ़ी	116.8				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	381.4		4. (1) तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	239.0		(2) . .		
3. जबलपुर	141.0				
4. मझौली	309.4				
5. कुण्डम	167.8				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	282.0		4. (1) धान, तिल, मक्का, कोदों, राहर, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	176.0		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	321.0				
4. बहोरीबंद	194.6				
5. ढीमरखेड़ा	202.9				
6. बड़वारा	134.0				
7. बरही	116.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	192.0		4. (1) मक्का, धान, तिल, कोदों-कुटकी, तुअर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	262.0		(2) . .		
3. नैनपुर	193.9				
4. मण्डला	147.4				
5. घुघरी	172.6				
6. नारायणगंज	229.2				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. शाहपुरा	. .				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	8.6		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	52.0				
5. सोंसर	7.0				
6. पांढुर्णा	22.2				
7. अमरवाड़ा	9.6				
8. चौरई	12.8				
9. बिछुआ	10.0				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	5.8				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	14.1		4. (1) धान, मक्का, तुवर, उड़द, मूँग, मूँगफली, सन अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	11.0		(2) . .		
3. लखनादौन	15.3				
4. बरघाट	76.4				
5. कुरई	6.0				
6. घंसौर	29.0				
7. घनोरा	25.5				
8. छपारा	15.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	132.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	27.3		(2) . .		
3. बैहर	73.0				
4. वारासिवनी	70.9				
5. कटंगी	14.0				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, अशोकनगर, टीकमगढ़, पन्ना, खण्डवा, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(880)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.